रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 30, 2015/ कार्तिक 8, 1937
No. 672] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2015/ KARTIKA 8, 1937

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2015

**सं. 23/2015-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै)**

**सा. का. नि.824(अ).**—केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 19 के तहत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एततद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 42/2001- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै), दिनांक 26 जून, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 471 (अ), दिनांक 26 जून 2001 के तहत प्रकाशित, में निम्नलिखित आगे और संशोधन करता है, यथा

1. उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, क्रमश: उक्त पैराग्राफ (ii) और (iii) के उपवाक्य (क) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा

"बशर्ते कि जहां कि माल ऐसी प्रकृति का है कि उसे किसी पैकेज या कंटेनर में सील बंद नहीं किया जा सकता है जैसे कि कोयला या अयस्क आदि, तो प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऐसे माल को पैकेज या कंटेनर में सील बंद करने से, अनुमति में अपने द्वारा निर्धारित रक्षोपायों के अनुसार, छूट दे सकता है।

इन रक्षोपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:—

(i) उस स्थान पर जहां से कि ऐसे माल को हटाया/भेजा जा रहा हो और निर्यात पत्तन पर या विशेष आर्थिक जोन जहां कि माल को प्राप्त किया जा रहा हो, ऐसे माल की मात्रा और गुणवत्ता के सत्यापन, जहां भी जरूरी हो ऐसे माल के परीक्षण समेत, की विधि।

(ii) मार्ग में माल की होनेवाली क्षति के मामले में शुल्क में किसी छूट की अनुमति नहीं होगी।

(iii) ऐसी अनुमति मामले दर मामले के आधार पर दी जाएगी और एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी तथा इसका दुरूपयोग होता है तो इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

(iv) अतिरिक्त रक्षोपाय यदि जरूरी हो तो भी निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।''

[फा.सं. 96/108/2014-सीएक्स.1]

संतोष कुमार मिश्रा, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 42/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 जून, 2001 को सा.का.नि. 471(अ) दिनांक 26 जून, 2001 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 24/2010-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गैटै), दिनांक 26 मई 2010, जिसे सा.का.नि. 449(अ), दिनांक 26 मई 2010 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2015

**No. 23 /2015-Central Excise (N.T.)**

**G.S.R.824 (E).—**In exercise of the powers conferred by rule 19 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendments further to the notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue) Number 42/2001-Central Excise (N.T.), dated 26th June, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary in Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R 471(E), dated the 26th June, 2001, namely:—

1. In the said Notification, in paragraph 2, in sub-paragraphs (ii) and (iii), after clause (a) occurring in both sub-paragraph, following proviso shall respectively be inserted, namely:—

" Provided that where the nature of goods is such that the goods cannot be sealed in a package or a container such as coal or ore, etc., exemption from sealing of package or container may be granted by the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner of Central Excise subject to safeguard as may be specified by him in the permission.

The safeguards shall, *inter alia*, include the following:—

(i) method of verification of quantity and quality of goods including testing of goods where necessary at the place of removal or despatch and at the port of export or SEZ, where the goods are received;
(ii) no remission of duty shall be allowed for loss of goods within transit;
(iii) permission shall be given on case to case basis for a specified period not exceeding one year at a time and may be withdrawn in case of misuse; and
(iv) any additional safeguards as may be specified " .

[F. No. 96/108/2014-CX.I]

SANTOSH KUMAR MISHRA,Under Secy.

**Note:-** The principal notification No. 42/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June, 2001, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 471(E), dated the 26th June, 2001 and the last amended vide notification No. 24/2010-Central Excise (N. T.), dated 26th May, 2010, published vide G.S.R. 449(E), dated 26th May, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.